



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



वन संरक्षण विभाग

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- क-300/12-1

हल्द्वानी, दिनांक, अगस्त, 22,

2020.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खामरी थापला जलागाँव से देचौरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.445 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।

संदर्भ:-

आपके कार्यालय से प्राप्त EDS Dated 08.07.2020।

महोदय,

जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खामरी थापला जलागाँव से देचौरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.445 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण के सम्बन्ध में दिनांक 08.07.2020 को आपत्ति लगायी गयी थी। प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग द्वारा आपत्ति का निराकरण कर अपनी पत्र संख्या 325/12-1 दिनांक 19.08.2020 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गई, जो कि निम्न प्रकार है:-

आपत्ति	निराकरण
1. In reply to point no. 2, some other documents uploaded in place of justification at para D in Part-I. Name of the CA area is not mentioned in the document uploaded at para- L(iv) (h). State Govt. May submit/upload the relevant documents against each para.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना का औचित्य part I para D(i) में अपलोड कर दिया गया है। सी0ए0 भूमि के प्रमाण पत्र में त्रुटियों का पुनः निराकरण कर para- L(iv) (h) में अपलोड किया गया है।
2. In reply to point no. 7, name of CA area has been corrected in CA area has been corrected in CA scheme but the same is not legible. State Govt. may upload the clear copy of CA scheme.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि CA Scheme Part-I Additional information Sl. No. 11 में त्रुटियों का निराकरण कर अपलोड किया गया है।
3. In reply to point no. 8, Name of CA area still not mentioned in the CA site suitability certificate. State Govt. may submit the CA site suitability certificate mentioning the name of CA area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि CA area का नाम सही अंकित कर CA site suitability certificate para- L(iv) (h) में अपलोड कर दिया गया है।
4. In reply to point no. 10, bar chart uploaded online in incorrect. State Govt. may upload the clear and correct copy of the bar chart online is additional document.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि Bar Chart, part I additional information के Sl. No 16 में अपलोड किया गया है।
5. In reply to point no. 11, aerial distance certificate still not uploaded. In the name of aerial distance certificate, some other document showing the road distance uploaded. State Govt. may review the same and upload/submit the correct information in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि Aerial distance certificate, part I के additional information के Sl. No 15 में अपलोड किया गया है।

आपत्ति	निराकरण
6. In para-D(ii)(a) Google earth map showing proposed alignment and the alternative alignment has been uploaded but the alternate alignment is different from the alternate alignment shown in the KML file uploaded at para-C and the comparative chart of two alignment also doesn't appear to be relevant in this situation.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि Correct alternate alignment, part I के para D (ii)(a) में अपलोड किया गया है।
7. It is mentioned in the muck disposal plan the 4.00 to 6.00 m width road already exists in the area hence. hill side cutting is required only for improvement of curved so the muck generated is very less. State Govt. may intimate the ownership over the existing road and the approval obtained under FCA. If any.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में जिला पंचायत द्वारा निर्मित पैदल मार्ग के आस पास ही मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। पूर्व में जिला पंचायत द्वारा उक्त मार्ग निर्माण हेतु प्रमाण पत्र ग्रामीणों द्वारा दिया गया है। जिसे part I के additional information SI. No 20 में अपलोड किया गया है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Joshi

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक अ-300 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग को उनकी पत्र संख्या 325/12-1 दिनांक 19.08.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Joshi

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी, नैनीताल।

22-8-20

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष / फैंक्स नं० 05947-251362



पत्रांक:- 325 / 12-1

दिनांक 08/08/2020

सेवा में,

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।

नैनीताल.
व.सं. सं०... 870
प.सं. सं०... 12-1
दिनांक... 22-8-20

विषय:-

जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली खामरी थापला जलागाँव से देचौरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.445 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/38058/2019)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक सं० 08/बी०/यू०सी०पी०/०६/१९०/२०१९/एफ०सी०/५५७ दिनांक ०६.०७.२०२० एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख०, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल का पत्रांक १७२१/२१सी० दिनांक १३.०८.२०२०।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है।

आपत्ति	निराकरण
1. In reply to point no. 2, some other documents uploaded in place of justification at para D in Part-I. Name of the CA area is not mentioned in the document uploaded at para- L(iv) (h). State Govt. May submit/upload the relevant documents against each para.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना का औचित्य part I para D(i) में अपलोड कर दिया गया है। para- L(iv) (h) में पुनः सी०ए० भूमि का प्रमाण पत्र त्रुटियों का निराकरण कर अपलोड किया गया है।
2. In reply to point no. 7, name of CA area has been corrected in CA area has been corrected in CA scheme but the same is not legible . State Govt. may upload the clear copy of CA scheme.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि CA Scheme Part-1 Additional information SI. No. 11 में त्रुटियों का निराकरण कर अपलोड किया गया है।
3. In reply to point no. 8, Name of CA area still not mentioned in the CA site suitability certificate . State Govt. may submit the CA site suitability certificate mentioning the name of CA area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि CA area का नाम सही अंकित CA site suitability certificate para- L(iv) (h) में अपलोड कर दिया गया है।
4. In reply to point no. 10, bar chart uploaded online in incorrect. State Govt. may upload the clear and correct copy of the bar chart online as additional document.	Bar Chart, part I additional information के SI. No 16 में अपलोड किया गया है।
5. In reply to point no. 11, aerial distance certificate still not uploaded. In the name of aerial distance certificated, some other document showing the road distance uploaded. State Govt. may review the same and upload/submit the correct information in this regard.	Aerial distance certificate, part I के additional information के SI. No 15 में अपलोड किया गया है।

6. In para-D(ii)(a) Google earth map showing proposed alignment and the alternative alignment has been uploaded but the alternate alignment is different from the alternate alignment shown in the KML file uploaded at para-C and the comparative chart of two alignment also doesn't appear to be relevant in this situation.	Correct alternate alignment, part I के para D (ii)(a) में अपलोड किया गया है।
7. It is mentioned in the muck disposal plan the 4.00 to 6.00 m width road already exists in the area hence. hill side cutting is required only for improvement of curved so the muck generated is very less. State Govt. may intimate the ownership over the existing road and the approval obtained under FCA. If any.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में जिला पंचायत द्वारा निर्मित पैदल मार्ग के आस पास ही मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। पूर्व में जिला पंचायत द्वारा उक्त मार्ग निर्माण हेतु प्रमाण पत्र ग्रामीणों द्वारा दिया गया है। जिसे part I के additional information Sl. No 20 में अपलोड किया गया है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

संख्या / दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर